82

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक- मू०-07/2012/ 1949 (1949) / पटना, दिनांक- 10-12-13

प्रेषक,

रेनु लता,
भा. आ. से.
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
(अरवल, शेखपुरा एवं शिवहर को छोड़कर) ।

विषय:- **कृषि पदार्थों के साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन तथा औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए चिन्हित मूल्य संग्राहकों एवं पर्यवेक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निदेशालय स्तर पर विषयांकित मूल्य संग्राहकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए दिसम्बर, 2013 में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है ।

विदित हो कि संबंधित मूल्य संग्रहण केन्द्र के प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं उनकी अनुपस्थिति में संबंधित प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त मूल्य संग्राहक के दायित्व का निर्वहन करना है । मूल्य पर्यवेक्षक के दायित्व का निर्वहन संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी करेंगे । प्रत्येक जिले में एक मूल्य पर्यवेक्षक तथा प्रत्येक मूल्य संग्रहण केन्द्र के लिए एक मूल्य संग्राहक होंगे । इस निमित उन्हें चिन्हित किया जाना आवश्यक है । मूल्य संग्रहण केन्द्रों की जिलावार सूची संलग्न है ।

अत: अनुरोध है कि अपने जिले में उपरोक्त मूल्य संग्रहण कार्य में वास्तविक रूप से संलग्न मूल्य संग्राहकों एवं पर्यवेक्षकों की विवरणी विहित प्रपत्र में त्वरित माध्यम से भेजना सुनिश्चित किया जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके ।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाए ।

विश्वासभाजन

09/12/13

निदेशक।

अनुलग्नक :- (i) मूल्य संग्रहण केन्द्रों की सूची ।
(ii) विहित प्रपत्र की प्रति ।

ज्ञापांक-मूल्य 07/2012 1949 /पटना, दिनांक- 10-12-2013

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/12/13

निदेशक।